निर्णय ब इजलास प्रकाश राजपुरोहित आई.ए.एस. जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट

जयपुर ग्रामीण

प्रकरण संख्या :93/2024 (मुन्ताकिल प्रार्थना पत्र)

बाबूलाल पुत्र लादूराम जाति जाट निवासी ग्राम बस्सी झाझडा, तहसील जोबनेर, जिला जयपुर ग्रामीण।

प्रार्थी

बनाम

1. श्री अभिमन्यु सिंह आर.ए.एस. पीठासीन अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी किशनगढ रेनवाल, जिला जयपुर अतिरिक्त चार्ज उपखण्ड अधिकारी जोबनेर ।
2. दिनेश कुमार पुत्र गंगाराम
3. महेश कुमार पुत्र गंगाराम

समस्त जाति जाट, निवासी बस्सी झाझडा, तहसील जोबनेर, जिला जयपुर ग्रामीण ।

अप्रार्थीगण

मुन्तिकिल प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 235 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्व उपखण्ड अधिकारी जोबनेर के समक्ष विचाराधीन प्रकरण संख्या 111/2022 उनवानी बाबूलाल बनाम दिनेश कुमार व अन्य को अन्यत्र सक्षम न्यायालय में स्थानान्तरित करने बाबत।

उपस्थित –

1. श्री मदन लाल कुडी अधिवक्ता प्रार्थी की ओर से
2. श्री सीताराम कुमावत अधिवक्ता अप्रार्थी 2 की की ओर से ।

निर्णय दिनांक 09.07.2024

1. संक्षेप में मुन्तकिल प्रार्थना पत्र के तथ्य इस प्रकार है कि उपखण्ड अधिकारी जोबनेर के समक्ष प्रकरण संख्या 111/2022 उनवानी बाबूलाल बनाम दिनेश कुमार व अन्य विचाराधीन है। जिसमें पीठासीन अधिकारी से न्याय मिलने में शंका जाहिर कर प्रार्थीगण ने उक्त प्रकरण को अन्यत्र सक्षम न्यायालय में अन्तरण किये जाने का अनुरोध किया है।
2. प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया। उपखण्ड अधिकारी जोबनेर से बिन्दूवार टिप्पणी तलब की गई। अप्रार्थी संख्या 2 की ओर से अधिवता श्री सीताराम कुमावत ने उपस्थित होकर वकालतनामा पेश किया।
3. बहस उभय पक्ष सुनी गई।
4. प्रार्थी अधिवक्ता ने प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुये कथन किया कि उपखण्ड अधिकारी जोबनेर के न्यायालय में उक्त प्रकरण विचाराधीन है। उपखण्ड

जिला कलक्टर
जयपुर (ग्रामीण)

Scanned with OKEN Scanner

अधिकारी जोबनेर का अतिरिक्त चार्ज उपखण्ड अधिकरी किशनगढ़ रेनवाल को दे रखा है जो वर्तमान में इस प्रकरण की सुनवाई कर रहे है। दिनांक 23.05.2024 को प्रार्थी तारीख पेशी पर न्यायालय में गया तो वहां पर अप्रार्थी संख्या 2 ने प्रार्थी को धमकी दी कि मेरी एस डी ओ साहब से बात हो चुकी है और वह शीघ्र ही तुम्हारे प्रार्थना पत्र को खारिज कर देंगे। जिस पर प्रार्थी ने उक्त घटना की जानकारी अप्रार्थी संख्या 1 को दी तो अप्रार्थी संख्या 1 ने प्रार्थी को कहा कि मेरे उपर राजनैतिक दबाव है। मैं शीघ्र ही उक्त प्रार्थना पत्र को खारिज करूंगा तथा अप्रार्थी संख्या 2 ने जो तकासमें का दावा पेश किया है उसको मैं आपको बिना सुने ही डिकी करूंगा। जिससे प्रार्थी को अन्देशा हो गया है कि अप्रार्थी संख्या 1 द्वारा कानून के विपरीत जाकर अप्रार्थी संख्या 2 को अनुचित लाभ पहुंचाना चाहता है। दिनांक 23.05.2024 को अप्रार्थी संख्या 1 ने प्रार्थी का प्रार्थना पत्र खारिज करने तथा अप्रार्थी संख्या 2 द्वारा प्रस्तुत अन्य तकासमें के दावे का निस्तारण अप्रार्थी संख्या 2 के पक्ष में करने हेतु कहा । तत्पश्चात अप्रार्थी संख्या 2 ने भी प्रार्थी को न्यायालय परिसर के बाहर धमकी दी कि मैने मेरी राजनैतिक पहुंच से पीठासीन अधिकारी पर दबाव बना रखा है और वह शीघ्र ही उक्त प्रकरण का निस्तारण मेरे पक्ष में कर देंगे । इस प्रकार प्रार्थी को अप्रार्थी संख्या 1 से न्याय की कतई उम्मीद नहीं है। इसलिए प्रकरण को निष्पक्ष निर्णय हेतु अन्य समक्ष न्यायालय में स्थानान्तरित किया जाना न्यायहित में अति आवश्यक है। अतः उक्त उनवानी प्रकरण को अन्य सक्षम न्यायालय में मुन्तकिल किये जाने का आदेश फरमावें।

5. अप्रार्थी संख्या 2 के अधिवक्ता ने उक्त तर्को का खण्डन करते हुये दलील प्रस्तुत की कि प्रार्थी प्रकरण का निस्तारण नहीं होने देना चाहता है। इसलिए मिथ्या व काल्पनिक तथ्यों के आधार पर यह मुन्तकिल प्रार्थना पत्र पेश किया है। अतः मुन्तकिल प्रार्थना पत्र को खारिज फरमाया जावे।

6. उभय पक्ष के सुयोग्य अधिवक्ता को गौर से सुना गया। पत्राबली का भलीभांति अवलोकन किया गया।

7. अधीनस्थ पीठासीन अधिकारी ने अपनी टिप्पणी में प्रार्थी द्वारा लगाये गये आरोपों का खण्डन किया है। प्रार्थी ने मुन्तकिल प्रार्थना पत्र में लगाये गये आरोपों के समर्थन में कोई ठोस सबूत पेश नहीं किया है। प्रार्थी ने केवल कयास के आधार पर यह मुन्तकिल प्रार्थना पत्र पेश किया है, जो सही नहीं है। इस सम्बन्ध में न्यायिक दृष्टान्त मोहन सिंह बनाम दलपत सिंह 1984 RRD 501, राधेलाल बनाम बसन्ती लाल 1986 RRD-18 एवं मुरलीधर बनाम रामस्वरूप 1980 RRD (NSU) 61 में भी यह माना गया है कि मात्र कयास के आधार पर प्रकरण को मुन्तकिल किया जाना न्यायोचित नहीं है। उभय पक्ष को गौर से सुनने एवं पत्रावली का अवलोकन करने पर यह परिलक्षित होता है कि दौराने सुनवाई पीठासीन अधिकारी द्वारा प्रकरण में ऐसी कोई कार्यवाही किया जाना नहीं पाया गया है, जिससे प्रकरण को अन्यत्र न्यायालय में मुन्तकिल किया जावे। प्रार्थीगण द्वारा मुन्तकिल प्रार्थना पत्र में लगाये

जिला कलक्टर
जयपुर (ग्रामीण)

Scanned with OKEN Scanner

गये आरोपों की पुष्टि नहीं होती है। फलस्वरूप मुस्तकिल प्रार्थना पत्र खारिज किया जाता है।

8. निर्णय की प्रति हस्ब कायदा न्यायालय उपखण्ड अधिकारी जोबनेर को प्रेषित हो। पत्रावली नम्बर से कम हो कर शुमार फैसल हो।

9. निर्णय आज दिनांक 09.07.2024 को सरे इजलास सुनाया गया ।

(प्रकाश राजपुरोहित)
जिला कलक्टर
जयपुर (ग्रामीण)

Scanned with OKEN Scanner